

मेसज/लेटर / वरीय

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	ली. नं. / दिनांक आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	10/08/22	आज दिनांक 10/08/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिग्राहक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ. सा अन्य कार्य में व्यस्त/अपस्तित्व पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/08/22 को पेश हों।	
	29/8/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/उपनिष्ठा उपस्थित। एएस जायनाथ जी. डाके हेतु उपनिष्ठा अधिवक्ता द्वारा अज्ञात पाया गया है। अतः पत्रावली को बहक जायनाथ जी. डाके. दिनांक 12/09/22 को पेश हो। General सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय - जयपुर	
	12/09/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/उपनिष्ठा उपस्थित। एएस जायनाथ जी. डाके हेतु उपनिष्ठा अधिवक्ता द्वारा अज्ञात पाया गया है। अतः पत्रावली को बहक जायनाथ जी. डाके. दिनांक 15/09/22 को पेश हो। General सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय - जयपुर	
	15/09/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता/उपनिष्ठा उपस्थित। एएस जायनाथ अस्थाई निपटारा हेतु अधिवक्ता अज्ञात 1 द्वारा अज्ञात पाया गया। जिस पर अधिवक्ता जायनाथ द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है। अधिवक्ता द्वारा उपदन किया गया है कि अज्ञात 1 दिनांक 12/09/22 को उपस्थित होने के उपरांत भी लगातार 04 माह के अंतर पर उपरांत को उपस्थित होने का कोई अन्य/न्यायिक	

फर्द अहकाम

न्यायालय ~~राज्य न्यायालय (फास्ट ट्रैक) अमेर~~
मुंबई-जयपुर

गोद विलीटि बनाम वंशेश्वर व अन्य

मुकदमा संख्या / वर्ष (टी-आर) 45/2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/09/22	<p>अर्थात् प्रस्तुत नदी सिद्धा जिससे न्यायालय द्वारा दिनांक 27/07/22 को अपील 1 (एड) का अर्थात् बन्द किया गया। इसके उपरान्त निरन्तर अवकाश दिए जाने के उपरान्त क्लेम भी नहीं की जा रही है। इस प्रकार अपील का प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित रखना चाहते हैं तथा मुक्ति वादग्रस्त को सुनिश्चित व हस्तांतरण करना चाहते हैं एवं अपील को अपने एक अधिवक्ता व श्राक से वंचित करने पर आकांक्षा है। यदि अपील का निषेधित नहीं किया गया तो अपील को अनुरोध क्षति काफिर होने की पूर्ण संभावना है। यदि अर्थात् निषेधित के लक्ष्य में अपील को कोई क्षति होती तो 05 मिनट की अवधि (अधिक से) में अवश्य प्रस्तुत की जाती। जबकि मुक्ति वादग्रस्त में अपील का भी वंचित रखना न्यायालय 7/8 दिवस व 37 दिवस निरिंत है तथा अपने अनिर्णित दिवस की रक्षा अपील प्रस्तुत किया गया है जो तथ्यों के दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाकर मुक्ति वादग्रस्त के विषय, हस्तांतरण व श्राक यथास्थिति कावल अपील का निषेधित आकांक्षा करें। हमने अपील अधिवक्ता को सुना, तथ्यों पर मत किया व पावली व अवलोकन किया। अपील 1 द्वारा अपील दिनांक 12/09/22 के</p>	

राज्य न्यायालय (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुंबई-जयपुर

P.70.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	१५/०९/२०	<p>कुम में निरन्तर अवतर हर जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थनापत्र दी. आर. प्रश्न नही किया जिससे दिनांक २७/०९/२० को अपापी १ का जवाब प्र. पाया दी. आर. वच कर वदस प्रार्थनापत्र दी. आर. हेतु निवेदन किया गया जिससे उम में वदस भी आज दिनांक तक प्रश्न नही की आर. है जबकि प्रकरण अधिकारिता संस्थातेदाराने नये विधिक विभाजन के सुदर में विभाजन होने तक अपापी निवेदाज्ञा से सुव्यवस्था पाया है जिसका किसी भी प्रकार से स्पं किसी भी स्तर पर अपापी १ द्वारा कोई खंडन व कोई प्रतियोध प्रस्तुत नही किया गया है जिससे न्यायदित व वायवदलता के दृष्टिकोण प्रकरण में अपापी निवेदाज्ञा जारी/ पाकि किया जाना न्यायोचित व आवश्यक संज्ञाते है। अतः न्यायदित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को लक्षित सूतवाक अपापी निवेदाज्ञा से वाच्य किया जाता है कि ग्राम के विशेषाक्षरता तदनील आगे जिला जपपुट स्थित वायवदलीन ग्रीन आ. र. नं. ७५५/०७७ रफा ०.११०० है. तथा ग्रीन आ. र. नं. ७५५ रफा ०.३० है. के किसी दिग्गो का विकुय- हस्तगत्य आदि ना करें तथा मोडे की धमासिधि बनाए रखें।</p> <p>निर्णय आज दिनांक ०९/०९/२० को सुनाया गया। पत्रावली पुनः सुनाए होकर दृ. गवर्नर के कम हो। वायवदलीन दाखिल दफतरे की</p>	<p>व्य</p> <p>II संख्या / वर्ष : _____</p> <p>दिनांक आज्ञा या कार्यवाही</p>

Gaurav
 सहायक कमिश्नर (जास्टिस) और
 मुख्यालय-जयपुर